मुख्तयार अली आदि बनाम सतार खां आदि
2019/102
निर्णय दिनांकः–13.10.2025

सत्यमेव जयते

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चूरू (चूरू)

(पीठासीन अधिकारी : श्री सुनील कुमार–I आर.ए.एस.)

वाद संख्याः– 2019/102 दर्ज तिथिः–14.10.2019

1. मुख्तयार अली पुत्र महबूब अली जाति कायमखानी निवासी ग्राम ऊंटवालिया तहसील व जिला चूरू (राज.)
2. मोहम्मद अबरार पुत्र महबूब अली जाति कायमखानी निवासी ग्राम ऊंटवालिया तहसील व जिला चूरू (राज.)
3. इकबाल खां पुत्र महबूब अली जाति कायमखानी निवासी ग्राम ऊंटवालिया तहसील व जिला चूरू (राज.)

–वादी–

बनाम

1. सतार खां पुत्र महबूब अली जाति कायमखानी निवासी ग्राम ऊंटवालिया तहसील व जिला चूरू (राज.)
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, चूरू (राज.)

–प्रतिवादी–

उपस्थित अधिवक्ता
वादीः– श्री शिवगौतम सोलंकी
प्रतिवादीगणः– संदीप वर्मा

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा– 88, 92(क)
राजस्थान काश्तकारी अधि.–1955

निर्णय

वादीगण की ओर से दावा अन्तर्गत धारा 88, 92(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का पेश कर निवेदन किया कि कृषि भूमि खसरा नं. 371 तादादी 1.7705 हैक्ट. व खसरा नं. 374 तादादी 2.4174 हैक्ट. कुल किता 02 कुल तादादी 4.1860 हैक्ट. वाके रोही ऊंटवालिया तहसील व जिला चूरू में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 की संयुक्त खातेदारी कृषि भूमि है।

उक्त हिस्से की भूमि पर वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 01 का कब्जा, काश्त व खातेदारी चली आ रही है जिसके प्रमाण स्वरूप जमाबन्दी सम्वत् 2070–2073 की प्रमाणित दावा हाजा के साथ प्रस्तुत की जा रही है।

उक्त कृषि भूमि वादीगण की पैतृक है। [illegible]गण [illegible] पिता मिश्री खां का सही व वास्तविक नाम महबूब अली है जिनका मृ[illegible]मिश्री खां नाम लिखा गया है और उनकी पत्नी अमतु बानो की प्रत्येक कागजात जैसे आधार कार्ड 9709[illegible]9, मतदाता पहचान पत्र RJ/03/020/426185 में उनके पति का नाम महबूब अली दर्ज है[illegible]वादीगण का नाम मुख्तयार खां, इब्राहिम, लियाकत खां दर्ज हो गया तथा इस आधार पर गलत दर्ज हो गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:14:31 IST
Reason: SelfAttested

वादीगण की खातेदारी व कब्जा काश्त कृषि भूमि गलत ही राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हो गया जो आज तक गलत की अंकित चला आ रहा है जिस कारण वादीगण सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं ले सकते इसलिए नाम को दुरूस्त करवाने के लिए यह दावा प्रस्तुत किया जा रहा है।

वादीगण के पिता महबूब अली उर्फ मिश्री खां के वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 पुत्र हैं एवं खातेदारी इनके ही नाम दर्ज चली आ रही है। इनके अलावा वादीगण के पिता के अन्य कोई सन्तान नहीं है ना ही गांव ऊंटवालिया में इस नाम का कोई अन्य व्यक्ति गांव में है बल्कि वादीगण का असली नाम मुख्त्यार अली, मोहम्मद अबरार व इकबाल खां है। जो कि ग्राम थैलासर के कुर्सीनामा दिनांक 20.09.2019 को जारी किया गया जिसमें वादीगण व उनके पिता का नाम सही अंकन है।

वादीगण के पिता को प्यार से मिश्री खां कहते थे। जिस कारण उनका नाम अपने पिता के इन्तकाल में मिश्री खां दर्ज हो गया जो आज तक चला आ रहा है जबकि उनका सही व वास्तविक नाम महबूब अली है। उनका मृत्यु प्रमाण व उनकी पत्नी अमतु बानो प्रत्येक कागजात एवं पुत्रगण के सभी दस्तावेजात में महबूब अली दर्ज है।

वादीगण के पिता के फौत होने के बाद वादीगण के परिवार में लाड प्यार से कहने के कारण वादीगण का नाम मुख्तयार खां, इब्राहिम, लियाकत खां दर्ज हो गया था जबकि वादीगण का सही व वास्तविक नाम के बजाय मुख्त्यार अली, मोहम्मद अबरार व इकबाल खां दर्ज किया जावे।

वादी मुख्त्यार अली पुत्र महबूब अली जाति कायमखानी निवासी ऊंटवालिया हाल निवासी वार्ड नं. 14 पोस्ट ऑफिस के पास, चूरू जिला चूरू इनके नाम से राशन कार्ड यू.आई.डी. क्रमांक संख्या 104901400052 व आधार कार्ड संख्या 969728632367 हैं व पहचान पत्र संख्या RJ/03/020/426197 आदि वैद्य दस्तावेज बने हुए हैं।

वादी मोहम्मद अबरार पुत्र महबूब अली जाति कायमखानी निवासी निवासी ऊंटवालिया हाल निवासी वार्ड नं. 14 पोस्ट ऑफिस के पास, चूरू जिला चूरू इनके नाम से राशन कार्ड यू. आई.डी. क्रमांक संख्या 104901400051 व आधार कार्ड संख्या 658184047746 आदि वैद्य दस्तावेज बने हुए हैं।

वादी इकबाल खां पुत्र महबूब अली जाति कायमखानी निवासी ऊंटवालिया हाल निवासी वार्ड नं. 14 पोस्ट ऑफिस के पास, चूरू जिला चूरू इनके नाम से राशन कार्ड यू.आई.डी. क्रमांक संख्या 104901400816 व आधार कार्ड संख्या 212998813979 हैं व पहचान पत्र संख्या RJ/03/020/426185 आदि वैद्य दस्तावेज बने हुए हैं।

वादीगण ने जब के.सी.सी. बनाने हेतु संबंधित बैंक में संपर्क किया तो पता चला कि उसका नाम खातेदारी में गलती से वादीगण के पिता का नाम मिश्री खां गलत दर्ज हो गया है जबकि वास्तविक नाम महबूब अली है एवम् गलती से मुख्तयार खां, इब्राहिम, लियाकत खां अंकित हो गया है जब प्रत्येक दस्तावेज मुख्त्यार खां, इब्राहिम, लियाकत खां अंकित हो गया है जब प्रत्येक दस्तावेज मुख्त्यार अली, मोहम्मद अबरार व इकबाल खां जाति कायमखानी मुस्लिम निवासीगण ऊंटवालिया तहसील [illegible] कराने के लिए यह दावा प्रस्तुत किया जा रहा है।

वादीगण ने प्रतिवादीगण [illegible] का नाम मूल दस्तावेज के अनुसार मुख्त्यार अली, मोहम्मद [illegible] जाति कायमखानी मुस्लिम निवासीगण ऊंटवालिया तहसील व जिला चूरू राजस्व रिकॉर्ड [illegible]ही अंकन करवा देवें मगर प्रतिवादीगण ने

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:14:31 IST
Reason: SelfAttested

ऐसा करने से साफ-साफ इन्कार कर दिया लिहाजा तारीख दिनांक 07.10.2019 से वादकारण तथा वाद-हेतु वादी को भूमि मजकूर का खातेदार काश्तकार होने से प्राप्त हो गया है।

निवास स्थान फेरीकेन व वादग्रस्त कृषि भूमि अदालतवाला के अधिकार क्षेत्र में स्थित है इसलिए अदालतवाला को दावा के श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार प्राप्त है तथा दावा मुकर्रर शुदा कोर्ट फीस पर हर प्रकार के अन्दर मियाद प्रस्तुत है।

वादीगण की ओर से दावा व मय शपथ-पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वादीगण का दावा स्वीकार फरमाया जाकर वादीगण की खातेदारी कृषि भूमि खसरा नंबर 371 तादादी 1.7705 हैक्ट. व खसरा नंबर 374 तादादी 2.4174 हैक्ट. कुल किता 02 कुल तादादी 4.1860 हैक्ट. वाके राही ऊंटवालिया तहसील व जिला चूरू में वादीगण के पिता का नाम गलत दर्ज मिश्री खां के स्थान महबूब अली किया जावे एवं वादीगण के गलत नाम मुख्तयार खां, इब्राहिम, लियाकत खां को हटाकर उसके स्थान सही नाम दुरूस्त मुख्त्यार अली, मोहम्मद अबरार व इकबाल खां जाति कायमखानी मुस्लिम निवासीगण ऊंटवालिया तहसील व जिला चूरू दर्ज फरमाया जाकर घोषणात्मक रिकॉर्ड में सही नाम का अंकन करने का आदेश प्रदान किया जावे।

वादी की ओर से प्रस्तुत दावा न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर जरिये सम्मन प्रतिवादी की तलबी की गई जिस पर प्रतिवादी संख्या 01 की ओर से अधिवक्ता श्री संदीप वर्मा व प्रतिवादी संख्या 02 की ओर से पैरोकार राज ने उपस्थित हुए। प्रतिवादी संख्या 01 की ओर से जवाब दावा पेश किया गया जिसमें वादीगण द्वारा दावा में मांगा गया अनुतोष दिया जाता तो मुझे कोई आपत्ति व एजराज नहीं है। पैरोकार राज को हिदायत दी गई कि नाम दुरूस्ती बाबत सम्बन्धित पटवारी हल्का से रिपोर्ट लेकर प्रस्तुत करें जिस पर पैरोकार राज द्वारा पटवारी हल्का कस्बा चूरू से रिपोर्ट लेकर पेश की गई जो शामिल पत्रावली की गई। वादी के अधिवक्ता की बहस सुनी गई। दौरान बहस वादीगण अधिवक्ता द्वारा दावे में अंकित बिन्दुओं कौ मात्र दोहराते हुए हाल राजस्व रिकॉर्ड में गलत दर्ज नाम के कारण वादीगणों को नापूर्ति योग्य नुकसान हो रहा है। वादीगणों के सही नाम दर्ज कर घोषणा किये जाने का निवेदन किया गया। अप्रार्थी को भी इस संबंध में कोई उज्र एतराज नहीं है।

मैंने प्रकरण में वादी के विद्वान अभिभाषक द्वारा की गई बहस पर मनन किया वादीगण का दावा स्वीकार फरमाया जाकर वादीगण की खातेदारी कृषि भूमि खसरा नंबर 371 तादादी 1.7705 हैक्ट. व खसरा नंबर 374 तादादी 2.4174 हैक्ट. कुल किता 02 कुल तादादी 4.1860 हैक्ट. वाके राही ऊंटवालिया तहसील व जिला चूरू में वादीगण के पिता का नाम गलत दर्ज मिश्री खां के स्थान महबूब अली किया जावे एवं वादीगण के गलत नाम मुख्तयार खां, इब्राहिम, लियाकत खां को हटाकर उसके स्थान सही नाम दुरूस्त मुख्त्यार अली, मोहम्मद अबरार व इकबाल खां जाति कायमखानी मुस्लिम निवासीगण ऊंटवालिया तहसील व जिला चूरू दर्ज फरमाया जाकर घोषणात्मक रिकॉर्ड में सही नाम का अंकन करने का आदेश प्रदान किया जावे। तहसीलदार चूरू की रिपोर्ट के अनुसार भी दावा पर कोई आपत्ति नहीं है।

पत्रावली एवं पेश दस्तावेजों के परिशीलन से यह स्पष्ट परिलक्षित होता है कि वादगत कृषि भूमि खसरा नंबर 371 तादादी 1.7705 हैक्ट. व खसरा नंबर 374 तादादी 2.4174 हैक्ट. कुल किता 02 कुल तादादी 4.1860 हैक्ट. वाके रोही ऊंटवालिया तहसील व जिला चूरू में वादीगण के पिता का नाम गलत दर्ज मिश्री खां के स्थान महबूब अली किया जावे एवं वादीगण के गलत नाम मुख्तयार खां, इब्राहिम, लियाकत खां के स्थान पर सही नाम दुरूस्त मुख्त्यार अली, मोहम्मद अबरार व इकबाल खां जाति कायमखानी मुस्लिम निवासीगण ऊंटवालिया तहसील व जिला चूरू दर्ज है जिनको वादी दुरूस्त करवाना चाहता है। वादी ने अपने दावा के समर्थन में आधार कार्ड,

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:14:31 IST
Reason: SelfAttested

मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड की प्रतियां पेश की हैं दावा में प्रतिवादी की ओर से कोई आपत्ति नहीं की गई है। पेश दावा व दस्तावेजों से यह तथ्य स्पष्ट होता है कि राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता का मिश्री खां गलत दर्ज चला आ रहा है जबकि वादी के समस्त दस्तावेजों में पिता का सही नाम महबूब अली दर्ज है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट में भी वादी के पिता का मिश्री खां की बजाय महबूब अली एवं दोनों नाम का एक ही व्यक्ति होना बताया गया है एवं वादीगण के गलत नाम मुख्तयार खां, इब्राहिम, लियाकत खां को हटाकर उसके स्थान सही नाम दुरूस्त मुख्त्यार अली, मोहम्मद अबरार व इकबाल खां जाति कायमखानी मुस्लिम निवासीगण ऊंटवालिया तहसील व जिला चूरू करने का अनुतोष चाहा है। राजस्व रिकार्ड एवं दस्तावेजों में दर्ज नाम में भिन्नता होने से वादी को कठिनाई होना प्रत्यक्ष है। वादी वादगत कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार है इसलिए उसे राजस्व रिकार्ड में अपने गलत दर्ज नाम को अपने दस्तावेजों के अनुरूप दुरूस्त करवाने का अधिकार है। वादी का नाम दुरूस्त किये जाने से भूमिधारी राज्य सरकार के हितों पर कोई विपरीत प्रभाव पड़ने की सम्भावना भी परिलक्षित नहीं है। इस प्रकार वादी द्वारा पेश दस्तावेजों व शपथ पत्र से वादी का दावा उसके पक्ष में प्रमाणित होता है। इसलिए दावा वादी स्वीकार करने योग्य है।

अतः दावा वादी स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि कृषि भूमि खसरा नंबर 371 तादादी 1.7705 हैक्ट. व खसरा नंबर 374 तादादी 2.4174 हैक्ट. कुल किता 02 कुल तादादी 4.1860 हैक्ट. वाके रोही ऊंटवालिया में अंकित वादी का गलत नाम मुख्तयार खां, इब्राहिम, लियाकत खां को हटाकर उसके स्थान सही नाम दुरूस्त मुख्त्यार अली, मोहम्मद अबरार व इकबाल खां एवं वादीगणों व प्रतिवादी संख्या 01 के पिता का मिश्री खां की बजाय महबूब अली खातेदार संशोधित करने का आदेश दिया जाता है एवं तहसीलदार, चूरू को निर्देशित किया जाता है कि राजस्व रिकार्ड में उक्तानुसार दुरूस्ती करें। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 13.10.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुनील कुमार– I) RAS
उपखण्ड अधिकारी
चूरू (चूरू)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:14:31 IST
Reason: SelfAttested

मुख्तयार अली आदि बनाम सतार खां आदि
2019 / 102
निर्णय दिनांकः—13.10.2025

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चूरू (चूरू)

(पीठासीन अधिकारी : श्री सुनील कुमार—I आर.ए.एस.)

वाद संख्याः— 2019 / 102 दर्ज तिथिः—14.10.2019

1. मुख्तयार अली पुत्र महबूब अली जाति कायमखानी निवासी ग्राम ऊंटवालिया तहसील व जिला चूरू (राज.)
2. मोहम्मद अबरार पुत्र महबूब अली जाति कायमखानी निवासी ग्राम ऊंटवालिया तहसील व जिला चूरू (राज.)
3. इकबाल खां पुत्र महबूब अली जाति कायमखानी निवासी ग्राम ऊंटवालिया तहसील व जिला चूरू (राज.)

—वादी—

बनाम

1. सतार खां पुत्र महबूब अली जाति कायमखानी निवासी ग्राम ऊंटवालिया तहसील व जिला चूरू (राज.)
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, चूरू (राज.)

—प्रतिवादी—

उपस्थित अधिवक्ता
वादीः— श्री शिवगौतम सोलंकी
प्रतिवादीगणः— संदीप वर्मा

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा— 88, 92(क)
राजस्थान काश्तकारी अधि.—1955

—:: पर्चा डिक्री ::—

यह मुकदमा आज वास्ते इन फिलाल कतई रूबरू हमारे हाजरी श्री शिव गौतम सोलंकी वादीगण एडवोकेट्स वादीगण मिनजानिब मुदईब व पैरोकार राज प्रतिवादी मिनजानिब मुदाएलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है किः—

वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात् एवं तहसीलदार, चूरू की अनुशंषा के आधार पर दावा वादीगण स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि वादगत कृषि रोही खसरा नंबर 371 तादादी 1.7705 हैक्ट. व खसरा नंबर 374 तादादी 2.4174 हैक्ट. कुल किता 02 कुल तादादी 4.1860 हैक्ट. वाके रोही ऊंटवालिया वादीगणों का नाम मुख्तयार खां, इब्राहिम, लियाकत खां के स्थान पर सही नाम दुरूस्त मुख्त्यार अली, मोहम्मद अबरार व इकबाल खां एवं वादीगणों व प्रतिवादी संख्या 01 के पिता का मिश्री खां की बजाय महबूब अली अंकित करने का आदेश दिया जाता है, शेष अंकन यथावत् रहेगा। भविष्य में उक्त नाम संशोधन बाबत कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसकी समस्त जिम्मेवारी वादीगणों की रहेगी। तहसीलदार, चूरू को उक्तानुसार राजस्व अभिलेख में दुरूस्ती करने का आदेश दिया जाता है।

यह डिक्री मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 13 माह अक्टूबर सन् 2025 को जारी की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:14:31 IST
Reason: SelfAttested

(सुनील कुमार— I) RAS
उपखण्ड अधिकारी
चूरू (चूरू)